दिनांक :- 24-04-2020

कॉलेज का नाम :- मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा

लेखक का नाम :- डॉ० फारूक आज़म (अतिथि शिक्षक)
स्नातक :- प्रथम खंड कला
विषय :- प्रतिष्ठा इतिहास
पत्र :- एक
इकाई :- चतुर्थ
अध्याय :- ऋग्वैदिक काल के स्रोत

सबसे प्रसिद्ध आर्य कबीलो का संघर्ष दसराज युद्ध के रूप में वर्णित है जो परूष्णी (रावी) नदी के तट पर हुआ था। इसका कारण भरत जन को विश्वामित्र का सहयोग प्राप्त थी। इसी सहयोग के बल पर उसने व्यास एवं शतुद्रु को जीता, किंतु शीघ्र ही भरतो ने विशिष्ट को अपना गुरू मान लिया। अतः क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने भरत जन के विरोधियों को समर्थन दिया। विश्वामित्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनजातियो का मित्र। दसराज युद्ध में भरत के विरोध मे पांच आर्य एवं पांच अनार्य कबीले मिलकर संघर्ष कर रहे थे। इनके

Scanned with CamScanner

नाम निम्नलिखित थे - पुरू, यदु, तुर्वस, द्रुह्यु, अणु। पाच अनार्य कबीले थे - अकीन्न, पक्थ, भलानस, विशाणि, शिवि दस राजाओ के युद्ध का कारण यह था कि इन दसो कबीलो ने परूष्णी नदी को मोड़ने का यत्न किया था। माना जाता है कि इस युद्ध मे भरत राजा सुदास की विजय हुई। इससे पूर्व भी सुदास के पूर्वज दिवोदास ने एक शंबर नामक दासो के सरदार को हराया था इसमें पुरू राजा पुरूकुत्स मारा गया था।

आर्यों का संघर्ष दास, दस्यु अथवा पणि नामक अनार्यों से भी होता था। ऋग्वेद मे अनार्य जातियो में अज-यक्ष किकट, पिशाच, शिश्नु इत्यादि की चर्चा है।

दस्यु को अनसा (चपटी नाक वाला), अकर्मण (वैदिक कर्मो में विश्वास नहीं रखने वाला), अयज्वन (यज्ञ न करनेवाला), अदेवयु (वैदिक देवताओ में विश्वास न करने वाला) एवं शिश्नदेवा

(लिंग पूजक) कहा गया है।

पुरू नामक कबीला त्रास दस्यु के नाम से जाना जाता था।

पणि नामक दास आर्यों के पशु को चुराने वाला बताया गया है।

आर्यों के विजय के कारण :- आर्य निम्नांकित कारणों से विजयी है।

(1) घोड़े चालित रथ (2) कांसे के अच्छे उपकरण

(3) कवच (वर्मन)

आर्य संभवतः विशिष्ट प्रकार के दुर्ग का प्रयोग करते थे। इसे पुर कहा जाता था, साथ ही वे धनुष वाण का भी प्रयोग करते थे। प्रायः दो प्रकार के बाणों का प्रयोग होता था, पहला विषाक्त एंव सींग के मुख वाला तथा दूसरा ताँबे की नोक वाला। इसके अतिरिक्त बरछी, भाला, फरसा और तलवार आदि का भी प्रयोग वे करते थे। पुरचरिष्णु' शब्द का अर्थ था दुर्गों को गिराने वाला ईंजन।

राजत्व का सिद्धान्त

ऋग्वैदिक काल में राज्य क्षेत्र पर आधारित न होकर जन पर आधारित था। अपने रक्त संबंधों के आधार पर कुटुंब कुल या

Scanned with CamScanner

परिवार संगठित होते थे। इसका प्रधान कुलप या कुलपति
कहलाता था। इस समय कुटुंब प्रशासन की सबसे छोटी
इकाई थी। विभिन्न कुलों से एक ग्राम बनता था। जब दो
ग्राम आपस में टकराते थे तो संग्राम हो जाता था। ग्राम का
प्रधान ग्रामणी होता था। ऋग्वेद में ग्राम शब्द का प्रयोग 13
बार मिलता है। विश अनेक ग्रामों से मिलकर बना होता था। ऋग्वेद
में विश का उल्लेख 170 जगह हुआ है। इसका प्रधान विशपति
था। अनेक विशों का समूह जन या कबीला था। ऋग्वेद में जन
शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। कबीलों का शासन उसके
प्रधानों द्वारा किया जाता था जो राजा की उपाधि धारण करते थे।
राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था। इसके अलावा राजा की
निम्नांकित उपाधियाँ भी थीं- विशाम्पति, ग्रामिणी, गोप्ता, गोपति
आदि। कबीले के लोग स्वेच्छा से राजा को एक कर देते थे।
इसे बलि कहा जाता था।

Scanned with CamScanner

ऋग्वैदिक काल में प्रशासन का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था। संभवतः कुछ गैर-राजतंत्रात्मक राज्य भी थे। इसे ऋग्वेद में गण कहा गया है। इसका प्रमुख ज्येष्ठक या गणपति होता था। ऋग्वेद में गण शब्द का प्रयोग 46 बार मिलता है तथा अथर्ववेद में 9 बार मिलता है। इस प्रकार ऋग्वेद में ही गणतंत्र का प्रारंभिक उल्लेख मिलती है।

राजा के मुख्यतः दो कर्त्तव्य थे। प्रथम, युद्ध में कबीले का नेतृत्व करना तथा दूसरे अपने कबीले की रक्षा करना। राजा का पद युद्ध की आवश्यकताओं के अनुकूल था तथा राजा किसी भी दशा में दैवीय प्रतिनिधि नहीं था तथा न ही उसके धार्मिक कृत्य थे। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के विवरण से प्रतीत होता है कि वैदिक काल में विश-समिति में एकत्र होकर राजा का चुनाव करता था, किन्तु वैदिक साहित्य में दी गई वंशावलियों से ऐसा प्रतीत होता है कि राजा का पद वंशानुगत था और पिता के मृत्योपरांत ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी

Scanned with CamScanner

होता था इस आधार पर लगता है कि जनसाधारण द्वारा राजा का चुनाव और औपचारिक मात्र था, किंतु यह औचारिकता भी इस बात को द्योतक है कि उत्तराधिकारी को निर्णय में जनमत की भूमिका थी।

इस समय कुछ कबिलाई संस्थाये अस्तित्व में थी- जैसे- सभा समिति, विदथ और गण! अथर्ववेद के अनुसार सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियाँ थी! यही पर समिति का दूसरा नाम परिसंवाद बताया गया है। मैत्रायणी संहिता के अनुसार सभो में स्त्रियों भाग नहीं लेती थी। सभा में भागीदारी करने वाले को सभेय कहा जाता था? इसके सदस्य श्रेष्ठजन होते थे। जिन्हे सुजात कहा जाता था! सभा के कुछ न्यायिक अधिकारी भी थे और उसकी तुलना आज की राज्य सभा से की जा सकती है।

समिति संभवतः राजा का निर्वाचन करती थी। समिति के अध्यक्ष को पति या ईशान कहा जाता था!

कुछ विद्वानों का मानना है कि राजा ही समिति का अध्यक्ष होता था। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि समिति में राजकीय विषयों की चर्चा होती थी तथा सहमति से निर्णय होता था। जमीर महोदय ने सभा को ग्राम संस्था तथा समिति को केन्द्रीय संस्था कहा है। लुडविग महोदय ने सभा को वर्तमान राज्यसभा जैसी तथा समिति को लोकसभा सदृश कहा है। पंचालों के राजा प्रवाहन जैवलि ने समिति के समक्ष पाँच प्रश्न रखे। इनका यह संस्था उत्तर नहीं दे पाई। अतः संभवतः समिति राष्ट्रीय अकादमी की तरह भी काम करती थी। राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वह समिति के समक्ष उपस्थित हो। छान्दोग्य उपनिषद में श्वेतकेतु की घटना के संदर्भ में राजा प्रवाहन जैवलि को पाञ्चाल समिति में उपस्थित दिखाया गया है।

सभा समिति के अलावा विदथ नामक एक अन्य संस्था की चर्चा ऋग्वेद में 22 बार मिलती है।

Scanned with CamScanner